

न्यायालय श्री मेघराज सिंह मीणा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय),  
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 120/2021

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. निखिल भण्डारी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी, निवासी-3 त 55, जवाहर नगर, जयपुर।
2. निरंजन कुमार पुत्र श्री सीताराम शर्मा, निवासी-म0नं0-1961, बारह भाइयों का चौराहा, नाहरगढ रोड, चांदपोल बाजार, जयपुर।

अप्रार्थीगण,

( राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम,  
1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 )

उपस्थिति :-

1. परोकार सरकार।
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2026

तहसीलदार, जयपुर द्वारा यह निवेदन किया गया है कि ग्राम-सिरसी की आराजी खसरा नं0 1092 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0नं0 1099 रकबा 12 बिस्वा कुल कित्ता 2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में शामलाती पट्टी राधोजी कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी पुजारी रामकृपाल पुत्र वैजनाथ व औंकार पुत्र लादूराम कौम ब्राह्मण साकिन देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाश्त अंकित थी। आराजी खसरा नम्बर 1092 रकबा 16 बिस्वा, आ0ख0नं0 1099 रकबा 12 बिस्वा कुल कित्ता 2 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा को पुजारी की मृत्यु होने पर वारिसान के नाम तथा वारिसान द्वारा बैचान किये जाने के फलस्वरूप कई अन्तरणों से अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है। जबकि वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी की खुदकाश्त आराजी है। कानूनन



मन्दिर/देवमूर्ति को शाश्वत अवयस्क माना गया है। अतः मूर्ति के नाम अंकित किसी दीगर के नाम होना गलत है। बिना किसी सक्षम आदेशों के मंदिर की स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है। अतः वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड

म व

में अप्रार्थीगण का नाम विलोपित करके मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाये जावे।

उक्त आशय का रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र मय स्थगन प्रार्थना तहसीलदार, जयपुर द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, जयपुर में प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया गया और आज्ञा दिनांक 06.09.2004 द्वारा प्रकरण अधीन आराजी की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने एवं जमाबन्दी में भूमि माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी की होने से रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत किया गया जो विचाराधीन है इस आशय का नोट अंकित किये जाने के आदेश दिये गये। श्रवण क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के परिणामस्वरूप अग्रिम विचारण एवं निस्तारण हेतु प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर नियमानुसार अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने विद्वान् परोकार सरकार की बहस सुनी। विद्वान् परोकार सरकार का कथन है कि वादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015-2034 में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी पुजारी रामकृपाल पुत्र वैजनाथ व औंकार पुत्र लादूराम कौम ब्राह्मण साकिन देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाशत अंकित है और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काशतकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता है। विधिक दृष्टि में हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं हो सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाशत भूमि में प्राप्त हो गये हैं। माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी की खुदकाशत की विवादग्रस्त आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा-काशत भी की गई है तो वह मूर्ति का कब्जा-कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त

आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी साकिन देह दर्ज हैं और कॉलम संख्या 5 नाम कृषक में खुदकाशत का इन्द्राज है। ऐसी स्थिति में किसी काबिज-काशतकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। पुजारियों



*(Handwritten signature)*

को वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार किसी सक्षम अधिकारी द्वारा तत्समय प्रचलित कानूनों में नहीं दिये गये हैं और न ही वैध रूप से पुजारियों के नाम खातेदारी दर्ज की गई है। माफी मंदिर श्री ठाकुर जी की आराजी खसरा नंबर 1092 रकबा 16 बिस्वा आराजी खसरा नंबर 1099 रकबा 12 बिस्वा खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015-2034 के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में शामलाती पट्टी राधोजी कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी पुजारी रामकृपाल वल्द बैजनाथ व औंकार पुत्र लादूराम कौम ब्राह्मण सा० देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाश्त अंकित हैं। उक्त खसरा नं० की भूमियां जरिये नामान्तरकरण संख्या 245 विरासत से औंकार पुत्र लादूराम की मृत्यु होने पर रामकृपाल पुत्र वैजनाथ कौम ब्राह्मण के नाम अंकित हो गई। नामान्तरकरण के अनुसार 2047-2050 की जमाबन्दी में अमल दरामद भी हो गया। वादग्रस्त भूमियों का विक्रय रामकृपाल पुत्र वैजनाथ के द्वारा गणपत वगैराह को कर दिया गया है जिसका नामा० संख्या 565 दर्ज हुआ है। क्रेता गणपत की मृत्यु होने पर विरासत का नामा० संख्या 1251 तेजाराम के हक में स्वीकार किया गया है। इसके पश्चात् समस्त भूमि का विक्रय अप्रार्थीगण को किये जाने पर नामा० संख्या 1373 क्रेतागण के हक में स्वीकार किया गया है परन्तु जब पुजारी को ही किसी प्रकार से विधिक खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है तो पुजारी के उत्तराधिकारी/पुजारी द्वारा किया गया बैचान और बैचान के आधार पर क्रेतागण एवं क्रेतागण के वारिसान के नाम नामान्तरकरण अथवा दर्ज राजस्व अभिलेख इन्द्राज स्वतः ही प्रारंभ से शून्य हो जाते हैं। जमाबंदी सम्वत् 2015-2034 के कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाश्त अंकित है। अतः मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी की वादग्रस्त आराजी खुदकाश्त होने से आने वाले वर्षों में दर्ज इन्द्राज की निरन्तरता में ही प्रविष्टी की जानी थी परन्तु ठाकुर जी की खातेदारी की बजाय पुजारी के नाम बतौर कृषक नामान्तरकरण में दर्ज कर पुजारी के वारिसान/पुजारी के नाम एवं वारिसान/पुजारी द्वारा विक्रय किये जाने पर क्रेतागण/क्रेतागण के उत्तराधिकारियों के नाम खातेदारी इन्द्राज किये गये हैं जो प्रारंभ से शून्य है। इस प्रकार नियमों के विपरित माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी की खुदकाश्त खातेदारी आराजी को पुजारी के नाम दर्ज की जाकर पुजारी द्वारा बेची गई है और क्रेता के नाम दर्ज की गई है। अवैध रूप से बैचान किये जाने एवं विरासत का



*Handwritten signature/initials*

नामान्तरकरण के फलस्वरूप अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी में दर्ज है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है ऐसी स्थिति में रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में विभिन्न प्रक्रिया/नामान्तरकरणों के द्वारा किये गये राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज को निरस्त कर वापिस मन्दिर श्री ठाकुर जी की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

हमने परोकार सराकर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध नकल खतौनी बन्दोबस्त (जमाबन्दी) भू-प्रबन्ध (सेटलमेन्ट विभाग) के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादग्रस्त आराजी सम्वत् 2015-2034 में जमाबन्दी के कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान में शामलाती पट्टी राधोजी कॉलम संख्या 4 नाम उपभोक्ता, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी पुजारी रामकृपाल वल्द वैजनाथ व औंकार पुत्र लादूराम कौम ब्राह्मण सा० देह व कॉलम संख्या 5 नाम कृषक, पिता का नाम, जाति व निवास स्थान, श्रेणी कृषक व कृषिकाल में खुदकाशत अंकित हैं। उक्त खसरा नं० की भूमियां जरिये नामान्तरकरण संख्या 245 विरासत से औंकार पुत्र लादूराम की मृत्यु होने पर रामकृपाल पुत्र वैजनाथ कौम ब्राह्मण के नाम अंकित हो गई। नामान्तरकरण के अनुसार 2047-2050 की जमाबन्दी में अमल दरामद भी हो गया। वादग्रस्त भूमियों का विक्रय रामकृपाल पुत्र वैजनाथ के द्वारा गणपत वगैराह को कर दिया गया है जिसका नामा० संख्या 565 दर्ज हुआ है। क्रेता गणपत की मृत्यु होने पर विरासत का नामा० संख्या 1251 तेजाराम के हक में स्वीकार किया गया है। इसके पश्चात् समस्त भूमि का विक्रय अप्रार्थीगण को किये जाने पर नामा० संख्या 1373 क्रेतागण के हक में स्वीकार किया गया है और वादग्रस्त आराजी की खातेदारी की स्थिति तय करने के लिए जमाबन्दी एक मुख्य एवं विधिक दस्तावेज हैं। राजस्थान काशतकारी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मूर्ति को शाश्वत् नाबालिग माना गया है और नाबालिग मूर्ति के स्वामित्व की आराजी का हस्तान्तरण/विक्रय आदि नियमानुसार वर्जित हैं। नाबालिग मूर्ति की आराजी को पुजारी के अथवा अन्य के नाम बिना किसी वैध अधिकार के नहीं लगाया जा सकता है। विधिक दृष्टि में एक हिन्दू देव मूर्ति एक शाश्वत अवयस्क हैं। माफी के पुनर्ग्रहण पर खातेदारी अधिकार पुजारी को प्राप्त नहीं



सकते, परन्तु विधि के परिवर्तन से देव मूर्ति को स्वतः ही खातेदारी अधिकार उसकी खुदकाशत भूमि में प्राप्त हो जाते हैं। माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी सा० देह की खुदकाशत आराजी को यदि किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा-काशत भी की गई हैं तो वह

*[Handwritten signature]*

मूर्ति का कब्जा-कृषि कार्य करने वाला व्यक्ति ही माना जायेगा और उसको खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते हैं। प्रश्नगत प्रकरण में तो स्पष्ट रूप से वादग्रस्त आराजी माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी की खुदकाशत खातेदारी दर्ज हैं। ऐसी स्थिति में नाबालिग मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर जी की बतौर काबिज-काशतकार की प्रविष्टि को अन्यथा रूप से दोहराने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। माफी मंदिर की भूमि के संबंध में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 में कलक्टर को अपनी राय के साथ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसी स्थिति में राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र प0क्र:-3(2)राज-6/ 2007/14 दिनांक 24.05.2007 को ज्यों की त्यों अंकित किया जाना समीचीन समझते हैं "1. राज्य सरकार द्वारा परिपत्र दिनांक 13.12.1991 की निरन्तरता में स्पष्ट किया जाता है कि मंदिर मूर्ति शाश्वत अवयस्क है। अतः इसकी खातेदारी भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते हैं। बलदेव बनाम मूर्ति मंदिर श्री कृष्ण जी महाराज आ.आर.डी 1994 में निर्णित किया गया है कि मंदिर में पुजारी कौन होगा व उसके उत्तराधिकार के संबंध में विवाद दीवानी न्यायालयों द्वारा ही तय किया जा सकता है। मंदिर मूर्ति के खाते में पुजारी या सेवायत का नाम जमाबंदी में दर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका काफी दुरुपयोग होता है। राजस्व रिकार्ड में पुजारी अथवा सेवायत का नाम दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। मूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा देवमूर्ति की भूमि के संबंध में अनावश्यक मुकदमें बाजी को रोकने के लिए परिपत्र दिनांक 13.12.1991 में निम्न निर्देश दिये गये थे :-

- (i) भविष्य में जो जमाबन्दी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी सा सेवायत का नाम नहीं लिखा जावे।
- (ii) प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मों में अलग से रखा जावे जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।
- (iii) जो जमाबंदी बन चुकी है। तथा वर्तमान में प्रभावशील है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा उपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जावे।



जागीरों के अधिग्रहण के समय जो भूमि मन्दिर के नाम से अथवा जरिये पुजारी खुदकाशत के रूप में दर्ज थी उस भूमि में किसी भी अन्य व्यक्ति को काशतकारी

*Handwritten signature*

अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। मन्दिर मूर्ति निरन्तर अवयस्क है वह किसी व्यक्ति के माध्यम से जैसे पुजारी, सेवादार, आदि के माध्यम से कार्य कर सकता है। इनके नाम से काश्त दर्ज होने पर काश्तकारी अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। ऐसे प्रकरणों में जिनमें मन्दिर के पुजारियों के नाम भूमि दर्ज है उनमें निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में रेफरेन्स की कार्यवाही की जावे।

3. मंदिरों को माफी की भूमि जागीर के रूप में दी गयी थी तथा राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 के प्रभावी होने पर जागीरों के पुनर्ग्रहण के साथ-साथ ऐसी भूमियों का निस्तारण इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया जिसके अनुसार जो भूमि जागीरों के पुनर्ग्रहण के समय किसी व्यक्ति के पास पट्टेदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थी उस भूमि को जागीर अधिग्रहण के समय उस व्यक्ति के नाम निरन्तर दर्ज करते हुये खातेदारी निरन्तर बनाये रखने के अधिकार प्रदान किये गये हैं। विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के अनुसरण में ऐसी भूमियों को वापिस मन्दिर के नाम दर्ज किया जा रहा है, उचित नहीं है।

4. ऐसी भूमि के सम्बंध में जो मन्दिर माफी की थी के सम्बंध में राजस्थान भूमि सुधार तथा जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के प्रभावी होने के समय जो व्यक्ति राजस्व रिकार्ड में पट्टेदार, खादिमदार या अन्य किसी नाम से दर्ज थे वे निरन्तर खातेदार बने रहेंगे। धारा 9 निम्न प्रकार है:—

“जागीर भूमियों में खातेदारी अधिकार— जागीर भूमि के प्रत्येक काश्तकार को जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्व अभिलेखों में एक खातेदार, पट्टेदार, खादिमदार के रूप में या किसी अन्य रूप में जिसमें यह अन्तर्हित हो कि काश्तकार को काश्तकारी में आनुवांशिक और पूर्ण अन्तरण के अधिकार प्राप्त हैं, दर्ज हैं, ऐसे अधिकार प्राप्त रहेंगे और वह ऐसी भूमि के संबंध में खातेदार काश्तकार कहलायेगा।

5. जागीरों के अधिग्रहण के समय मन्दिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि नाम से दर्ज थी उनमें उन काश्तकारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार प्राप्त है। ऐसी भूमियों को पुनः मन्दिरों के नाम दर्ज किया जाना विधि-सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

वर्तमान में इस विषय में क्रम संख्या 5 पर अंकित प्रकरणों में जहां विभिन्न राजस्व न्यायालयों में जो प्रकरण लंबित है तथा राजस्व बोर्ड के समक्ष जो संदर्भ (reference)



*[Handwritten signature]*

लंबित है। उन प्रकरणों में संबंधित अधिकृत अधिकारी उपरोक्त निर्देशों के अनुरूप विधिक स्थिति से अवगत कराते हुए उन प्रकरणों/संदर्भों को निस्तारण करायेंगे।”

निबन्धक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के पत्रांक राम/प-63/न्याय/स्था/05/636-689 दिनांक 06.01.2010 द्वारा समस्त संभागीय आयुक्त, समस्त जिला कलक्टर, समस्त राजस्व अपील अधिकारी को लिखा गया है कि मन्दिर माफी की भूमि में खातेदारी अधिकारों के संबंध में परिपत्र दिनांक 24.05.2007 द्वारा अंतिम तौर पर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी कि जागीरों के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार, पट्टेदार अथवा खादिमदार आदि के नाम दर्ज थी उनमें-उन खातेदारों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे, ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि-सम्मत नहीं है। राजस्व रिकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तरण खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा। अतः विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का विभिन्न स्तरों पर त्रुटिवश संदर्भ हेतु लम्बित प्रकरणों का निस्तारण तदनुसार ही कराया जाना सुनिश्चित करावें।

राजस्व (ग्रुप-6) विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प03(2)राज-6/07/19 दिनांक 25.11.2011 द्वारा स्पष्ट किया गया है कि भू-प्रबन्ध अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ-साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैध रूप से खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत हुए थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 13.12.1991 की मंशा के विरुद्ध की गई कार्यवाही थी। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015-2034 के कॉलम संख्या 5 में दर्ज इन्द्राज की निरन्तरता में ही राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किया जाना था। यह सही है कि जागीर रिज्यूम हो जाने के कारण कॉलम संख्या 3 नाम भोक्ता में सरकार का इन्द्राज किया जावेगा परन्तु यह भी सही है कि जहां नाम उपभोक्ता कॉलम में माफी मंदिर का इन्द्राज है और कॉलम संख्या 5 में खुदकाशत अंकित है ऐसी परिस्थिति में खुदकाशत वाले कॉलम में मंदिर का नाम दर्ज किया जावेगा। राजस्व अभिलेखों में मंदिर श्री ठाकुर जी का नाम दर्ज करने के बजाय बिना किसी विधिक प्रक्रिया अपनाये पुजारियों के नाम दर्ज किये गये हैं जो अवैध होने से निरस्तनीय है। राजस्व अभिलेख में बिना विधिक अधिकार पुजारियों के नाम दर्ज किये जाने के फलस्वरूप इनकी फौतगी पर वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकार



*Handwritten signature/initials*

किया गया है व पुजारी के वारिस द्वारा बैचान किये जाने के फलस्वरूप क्रेता के नाम वादग्रस्त आराजी की खातेदारी दर्ज है। इस प्रकार मंदिर मूर्ति श्री ठाकुर जी नाबालिग की खुदकाशत आराजी को विधिक प्रावधानों के विरुद्ध एवं बिना कोई न्यायिक प्रक्रिया अपनाये पुजारियों के नाम दर्ज किया गया है जो प्रारंभ से शून्य है। शून्य आधारित इन्द्राज के फलस्वरूप माफी मन्दिर श्री ठाकुर जी की खुदकाशत आराजी का इन्द्राज विभिन्न प्रविष्टियों के परिणामस्वरूप जमाबन्दी सम्वत् 2056-2059 में क्रेता के नाम दर्ज है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अतः बिना किसी सक्षम अधिकारी, किसी वैध आदेश के बिना, अनुचित रूप से बिना कोई नियमों की प्रक्रिया अपनाये पुजारी के नाम तत्पश्चात पुजारी द्वारा बैचान किये जाने पर क्रेतागण व इनके वारिसों के नाम किया गया इन्द्राज प्रारम्भ से शून्य हैं और शून्य प्रभाव अवैध इन्द्राज का राजस्व अभिलेख में से हटाया जाना नितान्त आवश्यक हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 1092 रकबा 16 बिस्वा आराजी खसरा नंबर 1099 रकबा 12 बिस्वा के सम्बन्ध में पुजारियों/पुजारियों के वारिसों/क्रेता के नाम के इन्द्राज जरिये नामान्तरकरण संख्या 245, 565, 1251 व 1373 ग्राम सिरसी एवं इससे संबंधित अन्य इन्द्राज को निरस्त कर वापिस मन्दिर श्री ठाकुर जी के नाम लगाये जाने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित हैं। पक्षकार को दिनांक 15.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।



निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मेघराज सिंह मीना)  
अति. कलक्टर (दिलीप)  
जयपुर